द्वारा ईमेल/फैक्स।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर 1/2, चतुर्थ तल, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याः पॉच–470(वरि0 पदो0)2024 दिनांकःअक्टूबर 29, 2024

आदेश

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित में किये गये प्रावधानों के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को उनके वर्तमान नियुक्ति जनपद/इकाई पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जो **दिनांक 01–11–2024** से प्रभावी होगा, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

क0 सं0	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति जनपद/इकाई	उपयुक्त का चयन वर्ष
1	972151146	कर्मवीर सिह	श्री प्यारेलाल	03.08.1978	मुजफ्फरनगर	**2024**
2	952531108	लक्षेन्द्र कुमार	श्री धर्मवीर सिंह	30–06–1975	गौतमबुद्धनगर	**2024**
3	920671205	शिवप्रकाश सिंह	श्री रामनाथ सिंह	05–7–1973	कानपुर देहात	**2024**
4	972468991	अखिलेश सिंह	विजय सिंह	20–12–1977	सुलतानपुर	**2024**
5	912390305	श्री प्रेम नारायण	श्री राजाराम	16.10.1971	फतेहपुर	**2024**
6	982292501	कुलदीप सिंह	सुखपाल सिंह	07.07.1978	मेरठ	**2024**
7	960450251	अरविन्द कुमार	श्री चौथीराम	15.07.1975	कमिश्नरेट लखनऊ	**2024**
8	960470312	महेन्द्र सिंह	श्री राम सेवक सिंह	25.05.1977	ललितपुर	**2024**
9	912430517	दिनेश कुमार सिंह	श्री अयोध्या सिंह	01.01.1973	गोण्डा	**2024**
10	972522193	विजय कुमार पाण्डेय	श्री देवकरन पाण्डेय	05.07.1977	जालौन	**2024**
11	982541430	सुनील कुमार	स्व0 श्री नरेन्द्र सिह	26–09–1979	गौतमबुद्धनगर	**2024**

2– पदोन्नति प्राप्त उपनिरीक्षक अपने नियुक्ति स्थान जनपद पर कार्यभार ग्रहण करेगें तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवानियमावली के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये कर्मी की वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये कार्मिक की नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेगें।

3– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89–का–1–1997 दिनांकः 28–05–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों:–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराकर सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in** पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक- प्रारूप (क)

29/10/24

(अखिलेश कुमार चौरसिया)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1— अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2— पुलिस आयुक्त, आगरा, प्रयागराज, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ एवं कानपुर।
3— समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4— समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
5— समस्त कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।
6— समस्त विभागाध्यक्ष उ0प्र0।
7— पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ को इस अनुरोध के साथ की वे कृपया प्रश्नगत आदेश को उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।

संख्या तथा दिनांक वही।

मूलपर नही।

प्रतिलिपिः-अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-4 स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रारूप–"क"

स्वघोषणा–पत्र

मैं,————————————————————————(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र ——————————निवासी——————————————थाना—————————जनपद———————————— वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)————————————————— नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:–

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ——————

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:——————————— को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0——————————— धारा——————————थाना —————————— जनपद——————————में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:——————————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी————————————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————————स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर